—: आदेश :—

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** स्वीकार ्या जाता हैं कि तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम बिजौलियां खुर्द की वार हल्का बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की सरहद में खाता संख्या 01 पर अंकित राजी संख्या 317 एवं 319 के **कॉलम, टिप्पणी में नोट** "खनन कार्य करने हेतु, मेनाल आदिवासी पत्थर नन **श्रमिक** ठेका सहकारी समिति लिमिटेड मेनाल पंचायत समिति बेगूं जिला चित्तौड़गढ़, राज्य–राजस्थान" **कित** किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

आदेश आज दिनांक 12/11/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में ुनवाया गया ।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय मोहर

य उप खण्ड अधिकारी • ियाँ जिला–भीलवाड़ा

बीघा में से 7.10 बीघा का प्रस्तावित नक्शे में यह भूमि आती है का अंकन है एवं उक्त भूमि वाद रहित होना अंकित है एवं आवंटित 12 ब्लॉकों के मानचित्र की फोटो प्रति नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित होकर संलग्न हैं एवं प्रस्तावित भूमि के नक्शा की प्रमाणित फोटो प्रतिलिपी जो की प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर कार्यालय से प्रमाणित होकर संलग्न है।

चरण संख्या 04 स्वीकार है। कार्यालय उपवन संरक्षक सामाजिक वानिकी भीलवाड़ा खनिज अभियन्ता बिजौलियां को ग्राम बिजौलियांखुर्द की बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 317 मीन व 319 मीन में प्लॉट 1 से 12 तक मैनाल आदिवासी पत्थर खान समिति को आंवटन करने की सहमति दी है। आदेश की प्रमाणित फोटो प्रतिलिपी नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होकर संलग्न है।

चरण संख्या 05 स्वीकार है। शासन उपसचिव महोदय जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 14.07.1995 द्वारा उक्त समिति के 10 सदस्यों के नाम 60 गुणा 30 मीटर साईज के 10 प्लॉट आवंटन करने हेतु राज्य सरकार की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की गई जिसकी फोटो प्रतिलिपी नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होकर संलग्न है। पर्चा मौका दिनांक 28.11.1992 व 12.02.1993 की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न होकर भूमि विवाद रहित होना एवं रिकॉर्ड के अनुसार कोई अतिक्रमण नहीं होना अंकित हैं।

चरण संख्या 06 तत्कालीन समय में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं किया गया एवं वर्तमान में भी राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है।

चरण संख्या 07 स्वीकार है। राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत खनन क्षेत्र का अंकन किया जाना उचित है।

उक्त बिन्दु अनुसार मैनाल आदिवासी पत्थर खनन श्रमिक ठेका सहकारी समिति लिमिटेड मैनाल पंचायत समिति बेगूं को ग्राम बिजौलियां खुर्द की खाता नम्बर 01 में अंकित बिलानाम आराजी नम्बर 317 व 319 में से खनन कार्य करने हेतु किए गए आवंटन का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने हेतु रिपोर्ट पेश की ।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दस्तावेज के साथ रजिस्ट्रैशन प्रमाण पत्र दिनांक 14.09.1982, एन.ओ. सी. फोरेस्ट विभाग दिनांक 24.08.1994 मौका पर्चा व रिपोर्ट खनिज विभाग दिनांक 12.02.1993, प्रस्तावित आवेदित क्षेत्र का मानचित, ब्लॉक आवंटन आदेश राज्य सरकार शासन उपसचिव 14.07.1995 की प्रति संलग्न की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में बताया कि ग्राम बिजौलियां खुर्द की पटवार हल्का बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की सरहद में खाता संख्या 01 पर अंकित आराजी संख्या 317 एवं 319 के राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि मेनाल आदिवासी पत्थर खनन श्रमिक ठेका सहकारी समिति लिमिटेड पंचायत समिति बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान को खनन कार्य हेतु आवंटन का अंकन करवाना चाहा।

पैरोकार सरकार ने भी उक्तानुसार तरमीम किए जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं पैरोकार सरकार के जवाब पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम बिजौलियां खुर्द की पटवार हल्का बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित खाता संख्या 01 पर अंकित आराजी संख्या 317 एवं 319 के **कॉलम, टिप्पणी में नोट "खनन कार्य करने हेतु, मेनाल आदिवासी पत्थर खनन श्रमिक ठेका सहकारी समिति लिमिटेड मेनाल पंचायत समिति बेगूं जिला चित्तौड़गढ़, राज्य–राजस्थान" अंकित** किया जाना हम उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 04 पर

60 गुणा 30 मीटर साईज 10 प्लॉट ग्राम बिजौलियां खुर्द तहसील तत्कालीन माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा को आवंटन करने हेतु राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 65 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 22 एंव 27 मे शिथिलता बरतते राज्य सरकार की एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की गई। तब से उक्त प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी में आंवटित ब्लॉक प्रार्थी के कब्जे में चले आ रहे है।

राज्य सरकार द्वारा प्रार्थी समिति को बिजालियां खुर्द की जिन आराजीयात में ब्लॉकों का आवंटन किया गया था। उसी समय राजस्व रेकॉर्ड में आराजी संख्या 317 एवं 319 में मेनाल आदिवासी पत्थर खनन श्रमिक ठेका सहकारी समिति लिमिटेड पंचायत समिति बेगूं जिला चितौड़गढ़ को खनन कार्य हेतु आवंटन का अंकन किया जाना उक्त आदेशों की अनुपालना में न्यायोचित एवं आवश्यक था। किन्तु राजस्व कर्मियों ने सेवन से उक्त आराजीयात के राजस्व रेकॉर्ड में आवंटन का इन्द्राज/ अंकन नहीं किया

ग्राम बिजौलियां खुर्द की उक्त बिलानाम आराजी संख्या 317 एंव 319 के राजस्व रिकॉर्ड में मेनाल आदिवासी पत्थर खनन श्रमिक ठेका सहकारी समिति लिमिटेड पंचायत समिति बेगूं जिला चितौड़गढ़ को खनन कार्य हेतु आवंटन का अंकन नहीं होने से उक्त आराजीयात आज भी राजस्व रिकॉर्ड में बिलानाम सरकार अंकित हैं, उक्ता आराजी नम्बरों की भूमि पर अवैध कब्जे ना बढ़ पाये एवं उक्त आराजी का अन्य किसी को आवंटन ना हो या अन्य किसी प्रयोजनार्थ उक्त भूमि आरक्षित ना हो जिससे की अनावश्यक मुकदमें बाजी बढ़े उसके लिये एवं समिति के हितों की सुरक्षा के लिए उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में मेनाल आदिवासी पत्थर खनन श्रमिका ठेका सहकारी समिति लिमिटेड पंचायत समिति बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ को खनन कार्य हेतु आवंटन का अंकन किया जाना आवश्यक एंव न्यायसंगत है।

प्रार्थी हमेशा से यही समक्षता रहा कि समक्षता रहा कि राजस्व रिकॉर्ड में ऐसा अंकन हो रहा होगा एवं उसमें जमाबंदी देखने की जरूरत नहीं पड़ी, किन्तु दिनांक 26.04.2024 को प्रार्थी द्वारा उक्त आराजीयात की नकल ली तो प्रार्थी को उक्त तथ्य की जानकारी हुई की उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में समिति को भूमि खनन कार्य हेतु आवंटन का अंकन नहीं है।

प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम बिजौलियां खुर्द की पटवार हल्का बिजौलियाखुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की सरहद में खाता संख्या 01 पर अंकित आराजी संख्या 317 एवं 319 के राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि मेनाल आदिवासी पत्थर खनन श्रमिक ठेका सहकारी समिति लिमिटेड पंचायत समिति बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान को खनन कार्य हेतु आवंटन का अंकन कराये जाने का आदेश विपक्षी के नाम फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई।

विपक्षी पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र का जवाब तहसीलदार बिजौलियां के पत्रांक/राजस्व/2024/1617 दिनांक 10.10.2024 से प्रस्तुत किया जो संलग्न है जिसकी चरण संख्या 01 में कार्यालय निरिक्षक सहकारी समिति लिमिटेड पंचायत समिमि बेगू द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर मेनाल आदिवासी पत्थर खनन श्रमिक ठेका सहकारी समिति लिमिटेड मेनाल पंचायत समिति बेगूं जिला चित्तौडगढ़ के रजिस्ट्रेशन नम्बर 892H दिनांक 09.09.1982 की फोटो प्रतिलिपी नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होकर संलग्न है उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 14.09.1982 को जारी शुदा है।

चरण संख्या 02 स्वीकार है श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा ने अपने आदेश दिनांक 05.12.1992 व दिनांक 21.12.1992 को खनिज अभियन्ता बिजौलियांखुर्द की बिलानाम भूमि आराजी संख्या 317 मीन एंव 319 मीन में खनन कार्य हेतु उक्त समिति को आवंटन किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया।

चरण संख्या 03 स्वीकार है ग्राम बिजौलियांखुर्द की आराजी संख्या 317 एंव 319 का मौका रिपोर्ट दिनांक 12.02.1993 की फोटोप्रति नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होकर संलग्न है। जिसमें आराजी नम्बर 317 का कुल क्षेत्रफल 9 बीघा में से 6.15 बीघा एवं आराजी नम्बर 319 का कुल रकबा 18.06

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या :– 251/2024 दायर तारीखः– 29.07.2024

अनवान

1. मेनाल आदिवासी पत्थर खनन श्रमिक ठेका सहकारी समिति लिमिटेड मेनाल पंचायत समिति बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान जरिये अध्यक्ष श्री जगदीशचन्द्र मीणा पुत्र स्वं श्री सुरजमल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी मेनाल तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ राज्य राजस्थान

..........प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

उपस्थित :– 1. श्री मुकेश धाकड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. पैरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 12/11/2024

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता मुकेश धाकड़ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत प्रस्तुत कर बताया एवं अनुतोष चाहा कि मेनाल आदिवासी पत्थर खनन श्रमिक ठेका सहकारी समिति लिमिटेड पंचायत समिमि बेगूं जिला चित्तौडगढ़ सहकारी समितिया रजिस्ट्रार कार्यालय से रजिस्टर्ड होकर उसके रजिस्ट्रेशन नम्बर 892H दिनांक 09.09.1982 होकर उक्त समिति वर्तमान में भी प्रचलन में होकर प्रभावी है उक्त समिति आदिवासी पत्थर खनन श्रमिकों के कल्याण एंव उत्थान का कार्य करती है उक्त समिति के अध्यक्ष प्रार्थी श्री जगदीशचन्द्र मीणा मेनाल द्वारा ग्राम बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां की बिलानाम आराजी संख्या 317 रकबा 9.00 बीघा किस्म बारानी एवं आराजी संख्या 319 रकबा 18.06 बीघा भूमि में खनन कार्य हेतु खनन कार्य हेतु आवंटन कराने हेतु श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा के समक्ष आवेदन किया जिस पर बाद वैधानिक कार्यवाही के श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा द्वारा खनिज अभियंता बिजौलियां को उक्त बिलानाम भूमि में मेनाल आदिवासी पत्थर खनन श्रमिक ठेका सहकारी समिमि लिमिटेड पंचायत समिति बेगूं जिला चित्तौड़गढ को खनन कार्य हेतु आवंटन किये जाने में अपनी अनापत्ति प्रकट की गई जो प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है।

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा की उक्त समिति को बिलानाम आराजी संख्या 317 एंव 319 में खनन कार्य हेतु आवंटन किये जाने में अनापत्ति के बाद दिनांक 12.02.1993 को खनिज अभियंता व खनिज कार्यदेशक बिजौलियां एवं पटवार हल्का द्वारा उक्त आराजीयात का संयुक्त रूप से मौका देखा जाकर प्रस्तावित आवंटन योग्य भूमि का मानचित्र तैयार किया जाकर मानचित्र में आवंटन योग्य क्षेत्र को ब्लॉक में विभक्त किया जाकर ब्लॉक नम्बर अंकित किये गये। मौका पर्चा एवं मानचित प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

उक्त कार्यवाही के पश्चात् आवंटन से पूर्व खनिज अभियंता कार्यालय बिजौलियां द्वारा कार्यालय उपवन संरक्षक सामाजिक एवं वानिकी भीलवाड़ा से अनापत्ति प्राप्त की जाकर उक्त बिलानाम आराजी संख्या 317 एवं 319 में ब्लॉक आवंटन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 24.08.1994 को अपनी सहिमति दी गई जो प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है।

उक्त समस्त कार्यवाही के पश्चात् शासन उपसचिव राजस्थान सरकार खान ग्रुप–02 विभाग द्वारा अपने पत्र कमांकः–पं 313 (खान)/ग्रुप–02/83 पार्ट–01 दिनांक 14 जुलाई 1995 द्वारा श्रीमान् निदेशक खान एंव भू विज्ञान विभाग राजस्थान जयपुर को आदेशित कर समिति के 10 सदस्यों को

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

2/9/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते जवाब (TDR) आगामी दिनांक 9/9/24 को पेश हो [signature]
9/9/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते जवाब (TDR) आगामी दिनांक 17/9/24 को पेश हो [signature]
17/9/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 7/10/24 को वास्ते जवाब पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी
16-10-24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 23-10-24 को वास्ते उ-आ. पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी तहसीलदार बिजौलिया द्वारा जवाब पेश।
23-10-24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 6-11-24 को वास्ते उ-आ. पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी
6/11/24	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार बिजौलिया की रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 12/11/24 को पेश हो। [signature]
12/11/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली में प्रार्थी अभिभावक उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया गया एवं खुले न्यायालय में सुनाए गए। तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-[illegible]

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

[illegible] उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

जगदीशचन्द्र मीणा बनाम तहसीलदार

किस्म मुकदमा – 136 नम्बर 251/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[रीख] अहकाम जो [इस] हुक्म की ता[मील] में जारी हुए
9/07 2024	प्रार्थना पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 08/08/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
8/8/24	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार एवं अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार बिजौलिया की बाद तामील प्राप्त, जिसे शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी आगामी दिनांक 13/8/24 को पेश हो।	
13/8/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 14/8/24 को वास्ते ज. प्रतिवादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
14/8/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवाद उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 21/8/24 को वास्ते ज. प्रतिवादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
[illegible]/8/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवाद उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 27/8/24 को वास्ते ज. प्रतिवादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
27/8/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी द्वारा सत्यापित दस्तावेज पेश किए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी (TDR) आगामी दिनांक 02/9/24 को पेश हो।	

राजस्थान सरकार 2024/401

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/~~340~~ 401

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनाक
1	2	3	4	5
136 दुरुस्ती पत्र	251/24 ~~251/24~~	29/7/24	~~ANC~~ 12/11/24 ~~T.R.~~ ~~का है~~ जवाब प्राप्त	8/8/24 13/8/24 14/8/24 ~~8/8/24~~ 21/8/24 27/8/24 2/9/24 9/9/24 17/9/24 7/10/24 10/10/24 16/10/24 23/10/24 6/11/24 12/11/24

मेनाल

अनवान

श्री जगदीश चन्द्र मीणा / सुरजमल मीणा V/s श्री तहसीलदार बिजोलिया

निवासी मेनाल तह. - बेगुं निवासी ....

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री मुकेश धाकड़

श्री ....